न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
59 / 2024	धारा 212 RTA	16.10.2024	18.12.2024

रामनिवास पुत्र गोरधन जाति जाट उम्र 60 साल निवासी जोडी पट्टा सात्यु तहसील व जिला चूरू (राज)

बनाम

1 महावीर प्रसाद पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी जोडी पटारा तहसील व जिला चूरू (राज)
2. नारायण सिंह पुत्र छोग सिंह जाति राजपूत निवासी जोडी पट्टा सत्यु लोहसना तहसील व जिला चूरू
3. निलम शेखावत पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा गात्यु लोहराना तहसील व जिला चूरू
4 पूजा कंवर पत्नी मुकेश सिंह जाति राजपूत निवासी जोडी पट्टा सात्यु लोहसना तहसील व जिला चूरू
5. प्रताप सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टटा सात्युं लोहसना तहसील व जिला चूरू

6. मुकेश सिंह पुत्र इद्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोडी पट्टा सात्यु लोहसना तहसील व जिला चूरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू (राज)

मुख्य अप्रार्थीगण

8. प्रकाश पुत्र गोवर्धन जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्यु तहसील व जिला चूरू
9. सुमन पत्नी दीपचंद जाति जाट निवासी जोडी पट्टा सात्यु तहसील व जिला चूरू

गौण अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— 1. अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह प्रार्थी
2. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 श्री ललित गौतम
3. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 श्री शिवगौतम सोलंकी

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थी की ओर से उपरोक्त अनुवानी मूल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है जिसमें समय लगने की पूरी पूरी सम्भावना है

2 यह कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थी संख्या 8 ता 9 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 तादादी 9.8768 हैक्टेयर वाके रोही जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी व गौण आगणसंख्या 8. 9 कृषि भूमि खसरा राख्या 60 के मालिक व स्वामी है प्रमाण स्वरूप प्रमाणित जमाबंदी शम्बत् 2070—2073 सलग्न प्रार्थना पत्र की जा रही है तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 50 रोही मौजा जोडी पट्टा लोहसना का मालिक व स्वामी मुख्य प्रतिवादी संख्या 01 है प्रमाण स्वरूप प्रमाणित जमाबंदी राम्वत् 2070 2073 सलग्न प्रार्थना पत्र की जा रही है व कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही भौजा जोडी पट्ट्टा लोहसना के मालिक व स्वामी मुख्य प्रतिवादीमण सख्या 02 ता 06 है प्रमाण स्वरूप प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2070—2073 सलग्न प्रार्थना पत्र की जा रही है।

3. यहकि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 [illegible] 9 [illegible] उक्त कृषि भूमि आज से करीब दो—ढाई वर्ष पूर्व खरीद की गई थी [illegible] आवागमन हेतु पूर्व के खातेदारों द्वारा आवागमन हेतु खसरा [illegible] सदामत के रास्ते [illegible] आवागमन करते थे इसी रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी [illegible] गौण आप्रार्थीगण स[illegible] 9 के द्वारा किया जाता रहा है जिरो प्रार्थना पत्र के साथ स[illegible] एनेक्चर ए में ए से बी [illegible] गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी :: चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

4 यहकि प्रार्थी एंव गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 की कृषि भूमि के समिप कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही जोडी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरू स्थित है जिसमें से होकर कटानी रास्ता विद्यमान है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न एनेक्चर ए में दिखाया गया है जो प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 60 से लगभग 500–600 फीट की दूरी पर है जिससे होकर प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 का कोई सदामत का रास्ता नहीं है किन्तु प्रार्थी एवं गौण अप्राथीगण संख्या 8 ता 9 को कृषि भूमि खसरा संख्या 333/55 रोही जोडी पट्टा लोहसना में से एनेक्चर ए में दर्शाये गये सी से डी रास्ता दिया जाता है तो वह सुगम एव समिप का रास्ता होगा।

5. अप्रार्थी गण संख्या 8 ता 9 एकर दिखाये गए ही वी रास्ते से अपने खेत में आते रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 का खेत प्राची एवं गौण अप्राचीगण सख्या ता 9 के खेत की पहले पड़ता है इसके अतिरिका प्रार्थी एवं गौण अप्राणीगण संख्या 8 ता 9 के खेत खसरा संख्या 60 से पहले खसरा संख्या 333/55 मुख्य अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के खेत पडते है जिनसे होकर कटानी रास्ता प्रार्थी एच गौण अप्राथीगण संख्याता के खेत से लगभग 600–600 फीट की दुरी पर स्थित है खसरा संख्या 333/55 से होकर प्राणी एवं गौण अप्राचीगण संख्या ता ० का कोई सदामत का शरता नहीं रहा है किन्तु उक्त खेती से होकर प्रार्थी एवं गौण अप्राचीगण सख्याता को रास्ता दिया जाता है तो वह सुगम व निकटतम रास्ता होगा। एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी तथा सी से की के अतिरिक्त प्रार्थी एव गौण अप्राचीगण संख्या 8 ता 9 के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है वर्तमान में प्रार्थी की काश्वसुदा फसल खड़ी है जिसमें उक्त दोनो रास्ते बंद होने के कारण प्रार्थी अपनी फसल की बढ़ाई नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है अप्रार्थीगण संख्या 01 को एनेक्चर ए में दिखाये गये सदामत के रास्ते से होकर जाने वाले ए से बी रारते को रोका जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तिनिय क्षति होगी तथा गौके पर खून खराबा होने की पूरी पूरी सम्भावना है।

6. यहकि अप्रार्थी संख्या 01 अब इरा रास्ते से प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने से बाधा डालता है तथा धमकी देता है कि मैं इस रास्ता को रोकूमा तथा कई बार वह इस तरह के प्रयास भी कर चुका है, जिससे कई बार झगडे फसाद की परिरिथतिया पेदा हो चुकी है इसलिये अब नजरी नवशा खसरा नम्बर 59 में दर्शाये मार्क ए से बी स्थान तक अथवा खसरा संख्या 333/55 में से एनेक्चर ए में दर्शाये गये सी से डी रास्ता कटवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी पंच गौण अप्राथीगण संख्या 8 ता शांति प्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 01 झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी एवं गौण अप्राथीगण संख्या 8 ता 9 अप्रार्थी संख्या 01 का मुकाबला करने में असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 में से नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी अथवा खसरा संख्या 333/55 में से एनेक्चर ए मे दर्शाये गये सी से डी रास्ता कटवाया जाना आवश्यक हो गया है तक का रास्ता काटकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जायें जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी एंव गौण अप्रार्थीगण संख्या 8, 9 को उनके सदामत से चले आ रहे रास्ते से नही जाने दिया जा रहा है ऐसी सूरत में प्रार्थी एंव गौण अप्रार्थीगण सख्या 8,9 के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी से 01 को पांबद करवाये कि वह उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु सदामत से चले आ रहे रास्ते एनेक्चर ए में दिखाये गये ए से बी रास्ते को नहीं रोके ना ही ऐसा कोई कार्य उपकार्य करे, करवावे जिससे प्रार्थी एंव गौण अप्रार्थीगण संख्या 89 के लिए अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है तथा सलग्न एनेक्चर ए में दिखाये गया ए से बी रास्ता सदामत का होने एंव प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का सदामत से उपयोग उपभोग होने से सुविधा सन्तुलन एव अपूर्तिनिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष है।

अत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्र[illegible] निवेदन है कि ताफैसला प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 01 को पा[illegible] नम्बर 60 रोही मौजा जोडी पट्टा लोहसना तहसील व जि[illegible] कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रोही जोडी पट्टा लोहसना तहसील व जिला चूरू में से सल[illegible] एनेक्चर ए में दिखाये गये सदामत के रास्ते से होकर जाने वाले ए से बी रास्ते को ताफैसला प्रार्थना पत्र नहीं रोके ना ही ऐसा कोई कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी :: चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

या उपकार्य करे ना ही ऐसा कोई कार्य करवावे जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। श्रीमानजी बड़ी कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना--पत्रप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार को होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण की आवश्यक प्रकृति के मध्यनजर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रर्थी के पक्ष का प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.10.2024 तक का जारी किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 ओर से अधिवक्ता ललित गौतम ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया व अन्य दस्तावेज पेश किये जिन्हे मूल दावा में शामिल किया गया

फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं के अनुसार खसरा संख्या 59 में से खसरा संख्या 60 तक कभी सदामती रास्ता नहीं रहा ऐसी स्थिति में रास्ता खुलवाया जाना सम्भव नहीं है तथा अप्रार्थी ने कहा जान बूझकर तार पट्टियां तोड़कर हमारे खेत में रास्ता कायम करना चाहते है। खसरा नं. 60 के नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 331/55 व 333/55 से गुजरता है। जो कि जोड़ी से आनन्द सिंह पुरा को जाता है तथा इस रास्त के खसरा नम्बर 60 से दूरी 500 फीट है तथा खसरा नम्बर 59 से इसकी दूरी

अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कहा गया जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत न कर सिधी बहस हेतु निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से न तो जवाब प्रस्तुत किया गया तथा न ही बहस की गई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

यह निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू द्वारा 18.12.2024 को दिया गया, जिसमें प्रार्थी रामनिवास द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम RTA के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

इस मामले में प्रार्थी ने यह आरोप लगाया कि उनकी और गौण अप्रार्थीगण (प्रार्थी के खेत के समीपवर्ती किसान) की कृषि भूमि के लिए आने--जाने का कोई रास्ता नहीं था और वे सदामत रास्ते का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य प्रतिवादी (अप्रार्थी संख्या 1) द्वारा रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिससे उन्हें कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हुआ और अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया, ताकि आवागमन का रास्ता न रोका जा सके। पटवारी हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खसरा संख्या 59 से खसरा संख्या 60 तक कभी कोई सदामती रास्ता नहीं था, और इस कारण रास्ता खुलवाना संभव नहीं है। अप्रार्थी ने यह कहा कि प्रार्थी जानबूझकर उनके खेत में रास्ता बनवाना चाहते हैं, जबकि खसरा संख्या 60 से निकटतम रास्ता खसरा संख्या 331/55 और 333/55 से गुजरता है। न्यायालय ने यह पाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुविधा, संतुलन और अपूर्तिनीय क्षति के सिद्धांत के आधार पर पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो रहा था।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18/12/2024 को लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:25:03 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू